राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.2(क)(विविध/परिपत्र/अलेस–I/2018 / 566 दिनांक 10 अगस्त 2018

परिपत्र

यह देखने में आ रहा है कि राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के कतिपय कार्मिक अपने सेवा सम्बन्धी मामलों में बिना किसी प्रकार के शासकीय उपाय अपनाए, अपनी परिवेदना हेतु सीधे माननीय न्यायालयों में प्रकरण प्रस्तुत कर रहे हैं जबकि राजस्थान सिविल सेवायें (आचरण) नियम 1971 के नियम 29 में सेवा सम्बन्धी मामलों में किसी भी सक्षम न्यायालय की शरण में जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रावधान निम्नानुसार किये हुये है यथा :–

नियम 29 – सेवा सम्बन्धी मामलों में न्यायालय की शरण :– सरकारी कर्मचारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने नियोजन से या सेवा की शर्तो से उत्पन्न किसी व्यथा के लिये पहले साधारण शासकीय मार्ग या उपाय का सहारा ले तदुपरान्त ही वह किसी न्यायालय से निर्णय प्राप्त करने की कोशिश करें । समुचित शासकीय मार्ग या परिवेदना उपाय का अनुसरण किये बगैर कोई सरकारी कर्मचारी न्यायालय की शरण नहीं ले सकेगा ।

उल्लेखनीय है कि सभी राज्य कर्मचारियों से राजस्थान सिविल सेवायें (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों की पालना किया जाना अपेक्षित ही नहीं, अपितु बाध्यकारी है।

उक्त नियम 29 का स्पष्ट आशय है कि किसी भी व्यथित कार्मिक द्वारा सेवा सम्बन्धी प्रकरणों सम्बन्धी अपनी समस्या / परिवेदना सर्वप्रथम अपने नियोक्ता अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिये और यदि नियोक्ता अधिकारी द्वारा समस्या का सन्तोषजनक निराकरण नहीं किया जावे तो सम्बन्धित कार्मिक को नियमानुसार अपील सक्षम अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत की जावे। सक्षम अपीलीय अधिकारी द्वारा किये गये समस्या के निस्तारण/ लिये गये निर्णय से सन्तुष्ट नहीं होने पर ही सम्बन्धित राज्य कर्मचारी सक्षम न्यायालय में जाने के लिये स्वतन्त्र होगा।

अतः राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के समस्त कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी सेवा सम्बन्धी मामलों में प्रथमतः सम्बन्धित कार्मिक के पदस्थापन विभाग/ कार्यालय में अपनी परिवेदना प्रस्तुत करें और यदि पदस्थापित विभाग/ कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्मिक की परिवेदना का निस्तारण/ निर्णय नहीं किया जाता है तो इसके बाद नियोक्ता अधिकारी अर्थात् निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान में अपनी परिवेदना प्रस्तुत करें । यदि इस निदेशालय द्वारा कार्मिक की परिवेदना का निस्तारण/ निर्णय से सम्बन्धित कार्मिक सन्तुष्ट नहीं हो पाता है तो सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार अपीलीय अधिकारी (वित्त विभाग) के समक्ष अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सकता है, तथा यदि कोई कार्मिक अपीलय अधिकारी (वित्त विभाग) द्वारा परिवेदना के निस्तारण से भी सन्तुष्ट नहीं होता है तो वह कार्मिक सेवा सम्बन्धी मामलों में नियमानुसार सक्षम न्यायालय की शरण ले सकता है ।

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के सभी कार्मिक इस परिपत्र की पालना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही को निदेशालय स्तर पर अत्यन्त गम्भीरता से लिया जावेगा ।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांकः एफ.2(क)(विविध/परिपत्र/अलेस–I/2018 / 566 दिनांक 10 अगस्त 2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सयुंक्त शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष ।
3. समस्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I,/ सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II / कनिष्ठ लेखाकार ।
4. अतिरिक्त निदेशक, (कार्मिक–II/ कार्मिक–III/ कोष एवं बजट/आईएफएमएस) कार्यालय हाजा।
5. सयुंक्त निदेशक (विधि/जांच/कोष/प्रशासन) कार्यालय हाजा।
6. उप निदेशक (एसीपी) को वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु
7. उप विधि परामर्शी कार्यालय हाजा।
8. समस्त कोषाधिकारी / समस्त उपकोषाधिकारी ।
9. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदया।
10. समस्त अनुभाग।
11. रक्षित पत्रावली ।

(अरविन्द दीवान)
अति. निदेशक (कार्मिक–I)